शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-2/2018/001/18-2-2018-32(ल0उ0)/2017

प्रेषक

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ :दिनांकः 18 जनवरी, 2018

विषयः- वृहद औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने एवं विभागीय सम्पत्ति रजिस्टर बनाने के संबंध में।

महोदय,

वृहद औद्योगिक आस्थानों में रिक्त अथवा अक्रियाशील भूखण्डों को निरस्त कर अन्य पात्र उद्यमियों को आवंटित किये जाने विषयक शासन के पत्र संख्या-198/18.2.2017-32(ल0उ0)/2017, दिनांक 25-4-2017, पत्र संख्या-317/18.2.2017-32(ल0उ0)/2017, दिनांक 24-5-2017, पत्र संख्या-422/18.2.2017-32(ल0उ0)/2017, दिनांक 23-6-2017 एवं पत्र संख्या-680/18.2.2017-32(ल0उ0)/2017, दिनांक 19-9-2017, का कृपया संदर्भ ग्रहण काने का कष्ट करें जिनके द्वारा वृहद औद्योगिक आस्थानों में रिक्त अथवा अक्रियाशील भूखण्डों को निरस्त कर अन्य पात्र उद्यमियों को आवंटित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- अवगत कराना है कि शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के संबंध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 07-12-2017 में शासकीय भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। अतः विभाग के अधीन शासकीय भूमि पर अवैध कब्जो को चिन्हांकित करते हुये आवश्क कार्यवाही की जाय एवं विभागीय सम्पत्ति का एक विभागीय रजिस्टर 15 दिन में अद्यावधिक करा लिया जाय। उक्त के संबंध में समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारियों/समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों से अवैध कब्जे का विवरण प्राप्त करते हुये उनसे इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय कि उनके अधीनस्थ किसी शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कोई प्रकरण छूटा तो नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही कराते हुये कृत कार्यवाही की सूचना एवं संदर्भगत प्रमाण पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2018/001(1)/18-2-2018-32(ल0उ0)/2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
(3) राजस्व अनुभाग-2

आज्ञा से

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।